भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 23\*

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**कृषि-कार्यों के लिए प्रयुक्‍त उर्वरक की मात्रा**

\*23. श्री बसावाराज पाटिल:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि-कार्यों के लिए रसायन और उर्वरकों का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: भारतीय और विदेशी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का अनुपात कितना-कितना रहा है;

(ग) सरकार वित्‍तीय-भार में कमी करने तथा कृषि में भारतीय पद्धति को प्रोत्‍साहित करने हेतु क्‍या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

-2-

**‘कृषि-कार्यों के लिए प्रयुक्‍त उर्वरक की मात्रा' के संबंध में दिनांक 06.12.2013 को उत्‍तर दिए जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.23\* के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

**\*\*\*\*\***

**(क):** 2012-13 के दौरान रसायनों (रासायनिक कीटनाशक) की वास्‍तविक खपत लगभग 56 हजार मी.टन थी। 2013-14 के लिए आकलित मांग लगभग 65 हजार मी.टन है।

2012-13 और 2013-14 (अक्‍तूबर 2013 तक) के दौरान रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) की बिक्री (खपत) का ब्‍यौरा इस प्रकार है: (आंकड़े लाख मी.टन में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **उत्‍पाद** | **वर्ष** | **बिक्री** |
| यूरिया | 2012-13 | 301.6 |
| 2013-14 | 173.9 |
| डीएपी | 2012-13 | 92.2 |
| 2013-14 | 40 |
| एमओपी | 2012-13 | 21.3 |
| 2013-14 | 12.4 |
| एनपीके | 2012-13 | 77.3 |
| 2013-14 | 39.3 |

**(ख):** 2010-11 से 2012-13 तक भारतीय (स्‍वदेशी) और विदेशी (आयातित) रासा‍यनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) के उपयोग अनुपात का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है।

**(ग) और (घ):** सरकार ने देश में किसानों को वितीय लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिनका ब्‍यौरा इस प्रकार है:-

1) जैव-उर्वरकों के उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैव उर्वरक उत्‍पादन के संस्‍थापन को बढ़ावा देने के लिए 40.00 लाख रुपए के अधिकतम कुल वित्‍तीय परिव्‍यय के 25% की दर से बैक एंडिड राजसहायता के रूप में नाबार्ड के माध्‍यम से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है। तिलहन, दालों, पाम ऑयल और मक्‍के के लिए समेकित योजना (आईएसओपीओएम) के अंतर्गत जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किसानों को लागत का 50% या 100 रुपए प्रति हेक्‍टेयर, जो भी कम हो, की वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

2) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में वर्धित दाल उत्‍पादन कार्यक्रम के अतर्गत 150 रुपए प्रति हेक्‍टेयर की वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

-3-

3) कार्बनिक उर्वरकों के उत्‍पादकों को बढ़ावा देने हेतु, सरकार, निम्‍नलिखित योजनाओं के अंतर्गत कार्बनिक उर्वरक उत्‍पादन इकाइयां स्‍थापित करने हेतु वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करा रही है:-

i) राष्‍ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) के अंतर्गत फल/सब्‍जी अपशिष्‍ट/कृषि अपशिष्‍ट कंपोस्‍ट इकाई स्‍थापित करने के लिए नाबार्ड के जरिए कुल प‍रियोजना लागत के लिए 33% की दर से 60.00 लाख रुपए प्रति इकाई तक क्रेडिट लिंक्‍ड बैक एंडिड राजसहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

ii) राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कृमि-खाद उत्‍पादन इकाइयां स्‍थापित करने के लिए लागत के 50% की दर से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है बशर्ते कि यह प्रति लाभार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए हो।

4. समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम) के प्रोन्‍नयन के लिए किसानों को राष्‍ट्रीय मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरण प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत भी वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

उपर्युक्‍त के अलावा भारत सरकार द्वारा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:

(I) मृदा परीक्षण आधार पर कार्बनिक खादों के साथ-साथ उर्वरकों के संतुलित और युक्तिसंगत अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 2008-09 से **''राष्‍ट्रीय मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरण प्रबंधन परियोजना''** नामक एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नई अचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) और नई चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्‍थापित करने का प्रावधान किया गया है। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

**(i) मृदा परीक्षण सेवा का सुदृढ़ बनाना:**

(क) अचल/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएलएस) की स्‍थापना करना/मजबूत बनाना।(ख) उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण/क्षेत्र प्रदर्शनियां।(ग) डिजीटल जिला मृदा मानचित्र तैयार करना।

**(ii) एकीकृत पोषक-तत्‍व प्रबंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना:**

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य और उत्‍पादकता में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए सरकार कार्बनिक खादों व जैव उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्‍म पोषक-तत्‍वों सहित रासायनिक उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के जरिए एकीकृत पोषक-तत्‍व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है।

(II) भारतीय मृदा विज्ञान संस्‍थान (आईआईएसएस), भोपाल को 19 प्रमुख राज्‍यों (171 जिलों) में स्‍थल विशिष्‍ट सिफारिशें करने के लिए मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया (एसटीसीआर) डाटा सहित मृदा

-4-

उर्वरण स्थिति को परस्‍पर जोड़ने के साथ-साथ भू-संदर्भित मृदा उर्वरण मानचित्र तैयार करने की एक परियोजना की स्‍वीकृति भी दी गई है।

(III) अनुकूलित उर्वरक: स्‍थल विशिष्‍ट पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से मंत्रालय अनुकूलित उर्वरकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि अधिकतम उर्वरक प्रयोग दक्षता हासिल की जा सके। ये अनुकूलित उर्वरक बहु-पोषक तत्‍व वाहक हैं जिनमें बृहत और सूक्ष्‍म पोषक-तत्‍व शामिल होते हैं और इन्‍हें मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर मृदा एवं फसल के लिए विशिष्‍ट रूप से तैयार किया जाता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एफसीओ, 1985 के तहत आज तक 25 ऐसे उर्वरकों को अधिसूचित किया है।

(IV) संपुष्‍ट उर्वरक: सूक्ष्‍म पोषक तत्‍वों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग संपुष्‍ट उर्वरकों के प्रयोग को भी प्रोत्‍साहन देता है जिनमें विभिन्‍न सूक्ष्‍म पोषक तत्‍व जैसे एनपीके के साथ-साथ जिंक, बोरोन आदि निहित होते हैं।

(V) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया, पोटाशयुक्‍त और फास्‍फेटयुक्‍त (पीएण्‍डके) उर्वरकों पर सरकार द्वारा जारी की गई राजसहायता इस प्रकार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **उत्‍पाद** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13** |
| यूरिया | 24336.00 | 37760.00 | 40016.00 |
| पीएण्‍डके | 41500.00 | 36809.00 | 30576.00 |
| योग | 65,836.00 | 74569.00 | 70592.00 |